न्यायालय तहसीलदार बायतु

प्रार्थी	बनाम	विप्रार्थी
राजस्थान सरकार पटवारी हल्का ~~भीमडा~~ छीतर का पार		नेनदास उर्फ धैनदास पुत्र पोकरदास जाति सन्त निवासी ~~हुडो की ढाणी~~ छीतर का पार

मुकदमा नम्बर 70 / 2018 अन्तर्गत धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956

निर्णय दिनांक 21.12.2018

पत्रावली आज पेश हुई। विप्रार्थी अनुपस्थित । पत्रावली का अवलोकन किया गया। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हे कि विप्रार्थी द्वारा संवत् 2075 में ग्राम **छीतर का पार** के खसरा नम्बर **570 / 258** रकबा 76.10 बीघा किस्म गै. मु. बेरी सरकारी भूमि मे से रकबा 990 वर्ग फीट **दीवार व मकान कार्य कर कब्जा कर** अतिक्रमण करने पर पटवारी हल्का द्वारा विप्राथी के विरूद्ध राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत कार्यवाही हेतु रिर्पोट पेश की। प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर विप्राथी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस विप्राथी से तामील होकर प्राप्त हुआ जो शामिल पत्रावली किया गया। विप्राथी द्वारा कोई जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया।

पत्रावली व पटवारी रिर्पोट का अवलोकन किय है। विप्राथी द्वारा सरकारी भूमि पर बिना किसी अधिकार के कब्जा किया है जो अवैध है। अतः विप्राथी को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत अतिक्मी घोषित किया जाकर सरकारी भूमि से बेदखल करने के आदेश दिये जाते है। साथ ही भूमि के वार्षिक लगान 0.10 रू 50 गुणा जुर्माना रू 50 / – अखरे पचास रूपये मात्र किया जाता है। जो विप्राथी से वसूल हो। विप्राथी को मोके तहरीर जारी हो।

पटवारी हल्का व त.रा.ले. तहसील हाजा आदेश से सूचित हो ,पत्रावली फेसल सुमार होकर दफ्तर दाखिल हो । निर्णय खुली अदालत सुनाया गया।

तहसीलदार बायतु